रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893

No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/PHALGUNA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th March 1972

S.O. 199(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States consequent upon the death of Shri Henry Samuel Mudumala a member elected to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder a person to fill the vacancy so caused before the 5th April, 1972 (Wednesday).

[No. 100/CS-AP/2/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

का० आ० 1 ९९(अ).—यत: आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री हेनरी सेमुअल मुदुमाला की पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 5 अप्रैल, 1972 (बुधवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/72(1)]

S.O. 200(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/72(1), dated the 17th March, 1972:—

(a) the 24th March, 1972 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 25th March, 1972 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 27th March, 1972 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 3rd April, 1972 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 5th April, 1972 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-AP/2/72(2).]

का० आ० 200(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ० प्र०/2/72 (1), तारीख 17 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे —

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 24 मार्च, 1972 (शुक्रवार) ;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख . 25 मार्च, 1972 (शनिवार) ;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख . 27 मार्च, 1972 (सोमवार) ;

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 3 अप्रैल, 1972 (सोमवार) ; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 5 अप्रैल, 1972 (बुधवार) ;

एतद्द्वारा नियम करता है।

[सं० 100/रा०स०/आ०प्र०/2/72(2)]

S.O. 201(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/72(1), dated the 17th March, 1972.

[No. 100/CS-AP/2/72(3).]

का० आ० 201(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/72(1), तारीख 17 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/72(3)]

S.O. 202(E).—In pursuance of the provisions of section 2 1of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby designates the Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Legislature Department, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/72(1), dated the 17th March, 1972.

[No. 100/CS-AP/2/72(4).]

का० आ० 202(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/72(1), तारीख 17 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के विधान मण्डल विभाग के सचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/72(4)]

S.O. 203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Assistant Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Legislature (Committees) Department, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/2/72(1), dated the 17th March, 1972, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-AP/2/72(5).]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

क० आ० 20 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/72(1), तारीख 17 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के विधान मण्डल (समिति) विभाग के सहायक सचिव की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 100/रा०स०-आ०प्र०/2/72(5)

के० एस० राजगोपालन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972